सँख्याः 50 /XXIV-2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 07 जून,2005

विषयः उत्तरॉचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल के एनेक्सी भवन के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4 /6834/मा0शि0प0 रामनगर/2005–06 दिनॉक 27–5–2005 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 103//XXIV-2/2005 दिनॉक 3–2–2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तरॉचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल के एनेक्सी भवन के निर्माणाधीन भवन हेतु योजना की अनुमोदित लागत रू0 115.37 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 100.00लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 15.37 लाख (रूपये पन्द्रह लाख सैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में शासनादेश संख्याः 630/ XXIV–2/2005 दिनॉक 29–4–2005 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी रू0 60.00 लाख की धनराशि में से व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य कराने रो पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी रो प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक – 4202 – शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय –01– सामान्य शिक्षा–आयोजनागत– 202– माध्यमिक शिक्षा–13– रामनगर, नैनीताल में माध्यमिक शिक्षा परिषद, में क्षेत्रीय कार्यालय के भवन का निर्माण–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेंगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–34/ वित्त अनु0–4 /2005 दिनॉक 03/06/05 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी
अपर सचिव

सॅख्याः 58 (1)/XXIV-2/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– मण्डलायुक्त , कुमायू मण्डल–नैनीताल।
5– जिलाधिकारी, नैनीताल।
6– कोषाधिकारी, रामनगर/ नैनीताल।
7– जिला शिक्षा अधिकारी– नैनीताल।
8– सचिव, उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
9– वित्त विभाग /नियेाजन प्रकोष्ठ।
10– संबंधित निर्माण एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम।
11– कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
12– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव